UPSI010076832025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–2, सीतापुर।

उपस्थित– विजय कुमार आजाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

दीवानी निगरानी संख्या–85/2025

सी०आई०एस० नं०–85/2025

1– **हफीज बेग** आयु 46 वर्ष पुत्र स्व० रसीद बेग,
2– **साबिर बेग** आयु 44 वर्ष पुत्र स्व० रसीद बेग,
3– **कु० फूल बानो** आयु 42 वर्ष पुत्री स्व० रसीद बेग,
4– **शाहिद बेग** आयु 40 वर्ष पुत्र स्व० रसीद बेग,
5– **साजिद बेग** आयु 36 वर्ष पुत्र स्व० रसीद बेग व
6– **शाकिर बेग** आयु 34 वर्ष पुत्र स्व० रसीद बेग, सर्वनिवासीगण मो० महेन्द्री टोला कस्बा परगना खैराबाद, तहसील व जिला सीतापुर। ..... निगरानीकर्तागण/वादीगण।

बनाम

1– **अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद खैराबाद,** कस्बा परगना खैराबाद तहसील व जिला सीतापुर।
2– **अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद खैराबाद,** कस्बा परगना तहसील व जिला सीतापुर।
3– **राज्य उत्तर प्रदेश** द्वारा जिलाधिकारी महोदय सीतापुर। .....विपक्षीगण/प्रतिवादीगण।

निर्णय

यह सिविल निगरानी, वादीगण/निगरानीकर्ता हफीज बेग आदि की तरफ से दीवानी वाद संख्या 587/2015 रसीद बेग बनाम नगर पालिका परिषद खैराबाद आदि में विद्वान अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कोर्ट सं० 05 सीतापुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित् 03.10.2025 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है।

निगरानीकर्ता की ओर से यह आधार दर्शित किये गये हैं कि मूल दीवानी वाद के वादी निगरानीकर्तागण के पिता रसीद बेग थे जिनका देहांत वाद के लम्बन काल में दिनांक 04.11.2025 को हो गया है। निगरानीकर्तागण उनके सगे पुत्र व पुत्री है व मृतक रसीद बेग के निकटतम वैधानिक उत्तराधिकारी है व वाद का कारण उनके पक्ष में भी विद्यमान है। निम्न योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत हैं तथा पारित प्रश्नगत्त आदेश विधान की दृष्टि में पोषणीय भी नहीं है व निरस्त होने योग्य है। निम्न योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण के रिकाल प्रार्थना पत्र प्रत्येक को मुबलिग 500/– रू० हर्जे पर स्वीकार करने मे वैधानिक त्रुटि कारित की गयी है जबकि प्रार्थना पत्र रिकाल (विपक्षीगण/प्रतिवादीगण) निरस्त होने योग्य है।

मूल वाद में सभी विपक्षीगण/प्रतिवादीगण द्वारा मूल वाद के सम्मन/नोटिस जारी हुयी थी तथा न्यायालय श्रीमान जी द्वारा मजकूरी की आख्या के आधार पर सम्मन/नोटिस की आख्या के आधार पर प्रतिवादीगण/विपक्षीगण पर तामीला पर्याप्त माना गया था व दिनाँक 12.04.2016 ई0 को प्रतिवादीगण/विपक्षीगण का लिखित उत्तर दाखिल करने का अवसर समाप्त करके मूल वाद के प्रतिवादीगण/विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित करके मूल वाद को एक पक्षीय साक्ष्य में नियत कर दिया गया था। दिनांक–30.08.2025 को मूल वाद के प्रतिवादी सं०–1 व 2 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अं० आदेश–9 नियम–7 जाब्ता दीवानी के माध्यम से दिनाँक 12.04.2016 को निम्न योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की याचना लगभग 3285 दिवसों के उपरान्त की गयी जो मूल पत्रावली मे कागज सं0–35 ग है तथा सम्मन/नोटिस गुम हो जाने का कथन किया गया। जिसके प्रति मूल वाद के वादी रसीद बेग द्वारा अपनी एक आपत्ति दिनांक–21.11.2024 फो प्रस्तुत की गयी थी।

दिनांक–27.11.2024 मूल वाद के प्रतिवादी सं०–3 राज्य उ०प्र० द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते रिकाल किये जाने आदेश 12.04.2016 को रिकाल करने हेतु अत्याधिक विलंब लगभग 9 वर्षों के पश्चात इस कथन के साथ भी गयी कि मूल वाद के सम्मन/नोटिस खो जाने का कथन किया गया व मूल वाद की जानकारी पक्षकार सं0–1 व 2 द्वारा अवगत कराये जाने के पश्चात हुई। उक्त प्रार्थना पत्र के प्रति मूल वाद के वादी रसीद बेग द्वारा अपनी आपत्ति भी दिनॉक–16.01.2025 को मूल पत्रावली मे योजित की गयी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मूल वाद के प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इन आपत्तियों के विरुद्ध निगरानीकर्ता के मृतक पिता रसीद बेग द्वारा कोई भी प्रति आपत्ति दाखिल नही की गयी है। विपक्षीगण द्वारा आदेश 9 नियम 7 जा०दी० के प्राविधानों के अनुरूप प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि उक्त प्राविधानों मे उल्लिखित एकपक्षीय कार्यवाही के पश्चात अगली ता०पेशी के दिन या उससे पूर्व देना चाहिये व अपनी अनुपस्थित का अच्छा हेतुक दर्शित करना होगा। जबकि मूल वाद में प्रतिवादीगण/विपक्षीगण द्वारा जो हेतुक अपने प्रार्थना पत्र में दर्शित किया गया है "कि सम्मन/नोटिस गुम हो गयी मानने योग्य कथन नही है कि इस लापरवाही के प्रति उसके द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के प्रति कोई वैधानिक कार्यवाही भी नहीं की गयी व मात्र निगरानीकर्तागण को महज तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र योजित किया गया। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की अवहेलना करके प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। जो स्वीकार होने योग्य नही है व पारित प्रश्नगत आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि न्यायहित में निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार करके निम्न योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश को निरस्त करने की कृपा करें।

विपक्षीगण की ओर से औपचारिक आपत्ति निगरानी के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

निगरानीकर्तागण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में सूची 5ग1 से एक किता प्रमाणित नकल आदेश दिनांकित 03.10.2025 पारित अपर सिविल जज (जू०डी०) कोर्ट सं० 05 सीतपुर, उनवान रसीद बेग बनाम नगर पालिका परिषद खैराबाद आदि दी०वाद सं० 587/15 कागज सं० 6ग1/2,फोटो स्टेट प्रति आधार कार्ड निगरानीकर्तागण हफीज बेग आदि कागज सं० 9ग1 दाखिल किया है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में एकपक्षीय कार्यवाही दिनाँक 12.04.2016 से चल रही है। उसी दौरान प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थनापत्र 35ग मय शपथ पत्र एवं प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रार्थनापत्र 40ग मय शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया

है कि उन्हें प्रस्तुत वाद की कोई जानकारी नहीं हो सकी थी। श्रीमान् जी के न्यायालय में पत्रावली एकपक्षीय सुनवाई हेतु नियत चल रही थी। वादी द्वारा एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में प्रस्तुत की गयी थी, जिसकी एक प्रति नगर पालिका के अधिवक्ता को प्रेषित की गयी थी, जो उन्हें दिनाँक 27.08.2024 को प्राप्त हुई और तब उन्हें इस वाद के एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही के बारें में जानकारी हुई। प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा दी गयी जानकारी के आधार पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी०पी०सी० में प्रस्तुत किया है।

आदेश 9 नियम 7 सिविल प्रक्रिया संहिता– जहाँ प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है और पूर्व अनुपसंजाति के लिये अच्छा हेतुक दिखाता है वहां प्रक्रिया– जहाँ न्यायालय ने एकपक्षीय रूप में वाद की सुनवाई स्थगित कर दी है और प्रतिवादी ऐसी सुनवाई के दिन या पहले उपसंजात होता है और अपनी पूर्व अनुपसंजाति के लिये अच्छा हेतुक दिखाता है। वहाँ ऐसे निबन्धों पर, जो न्यायालय खर्चों और अन्य बातों के बारे में निदिष्ट करे, उसे वाद के उत्तर में उसी भांति सुना जा सकेगा। मानो वह अपनी उपसंजाति के लये नियत किये गये दिन को उपसंजात हुआ था।

जी०एल० विजयन बनाम के० शंकर (2006) 13 एस०सी०सी० 136 – शर्तों का अधिरोपित करना– के लिये शक्ति– जब सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 7 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय लागतों के संदाय के संबन्ध में शर्तों को अधिरोपित कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके आदेश 9, नियम 13 के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायालय इस अर्थ में उससे अधिक वृहत्तर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकता है, जिसे वह शर्तों के पश्चात् अधिरोपित कर सकता है। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में लागू होती है।

अवर न्यायालय ने आदेश दिनाँक 03.10.2025 से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के प्रार्थनापत्र 35ग एवं प्रतिवादी संख्या 3 के प्रार्थनापत्र 40ग, प्रत्येक प्रार्थनापत्र को, न्यायहित में वाद के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर पाँच–पाँच सौ रुपये हर्जे पर स्वीकार कर लिया है और प्रतिवादीगण को अपना वादोत्तर प्रस्तुत करने के लिये अग्रिम तिथि नियत कर दी गयी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि किसी भी वाद का निर्णय, गुण–दोष पर किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं पर्याप्त सुनवाई का अवसर न्यायालय द्वारा प्रदान करते हुए गुण–दोष पर वाद को निर्णित करना चाहिए। आक्षेपित आदेश में अवर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के प्रार्थनापत्र को हर्जे पर स्वीकार करते हुए, उन्हें वादोत्तर दाखिल करने का निर्देश जारी करते हुए वाद को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करने का अवसर प्रदान किया है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुरूप है। अवर न्यायालय ने वादी पक्षी की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए प्रार्थनापत्र हर्जे पर भी स्वीकार किया है। विधि की तकनीकी जटिलताओं में न पड़ते हुए न्यायहित में हर्जे पर प्रार्थनापत्र स्वीकार करके वाद को अंतिम रूप से गुण–दोष पर निस्तारित करने के लिये प्रतिवादीगण को अवसर प्रदान किया गया है, जो पूर्णतः न्यायोचित है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अवर न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या 587/ 2015 रसीद बेग बनाम नगर पालिका परिषद खैराबाद आदि में प्रार्थनापत्र 35ग एवं प्रार्थनापत्र 40ग पर पारित आदेश दिनाँक 03.10.2025 पूर्णतः विधिक है, जिसमें कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत् आदेश पारित करने में कोई तात्विक अनियमितता, क्षेत्राधिकार, विधि या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि कारित नहीं की है। प्रस्तुत दीवानी निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रश्नगत दीवानी निगरानी संख्या 85/2025 हफीज बेग आदि बनाम नगर पालिका परिषद खैराबाद आदि निरस्त की जाती है।

अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 03.10.2025 सम्पुष्ट किया जाता है।

पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष लम्बित् वाद की कार्यवाही में भाग लेने हेतु दिनाँक 14.08.2026 को उपस्थित हो।

निर्णय की एक प्रति सम्बन्धित अवर न्यायालय को अनुपालन हेतु तत्काल प्रेषित की जाये।

दिनांक–22.07.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, सीतापुर।
J.O.Code: UP6013

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक–22.07.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–2, सीतापुर।
J.O.Code: UP6013

Sandeepsteno/–